



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन' निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0-माजरा, देहरादून-248171  
PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

## सार्वजनिक सूचना

आयोग के संज्ञान में आया है कि राज्य की विद्युत वितरण अनुज्ञापी कम्पनी-उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 (UPCL) के अधिकाँश फील्ड कार्मिकों द्वारा नये एल0टी0 विद्युत संयोजनों को निर्गत करते समय उपभोक्ताओं पर दबाव बनाकर 'केबल' मंगवायी जाती है, जो कि आयोग द्वारा जारी उविनिआ (नये एल0टी0 संयोजनों का जारी करना, भार में वृद्धि एवं कमी) विनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के पूर्णतः विरुद्ध है।

उपरोक्त विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप, उपभोक्ता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त, नये एल0टी0 संयोजन को जोड़ने हेतु आवश्यक सामग्री यथा केबल, मीटर, अथवा विविध सामग्री की उपलब्धता का सम्पूर्ण दायित्व UPCL का है।

वि0सं0-12/2018-19

सचिव

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत उपभोक्ता हित में प्रकाशित